



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 668 राँची, गुरुवार, 18 कार्तिक, 1945 (श०)
9 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-96/2016-24160 (HRMS)--श्री विजय कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3868, दिनांक 25.07.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप नहीं करने, लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिये जाने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7208, दिनांक 22.08.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-754, दिनांक 31.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि डोभा निर्माण कार्य सतत् चलने वाली प्रक्रिया (कार्य) है, जिसमें डाटा की भौतिक स्थिति प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने संबंधी आरोप पत्र जब उन्हें प्राप्त

हुआ, उस समय तक वे डोभा निर्माण अपने लक्ष्य के अनुरूप कर लिये थे। दिनांक 22.08.2016 तक कुल 243 डोभा पूर्ण किया जा चुका था। उधवा प्रखण्ड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जुलाई के पश्चात् डोभा निर्माण कार्य में कमी आना स्वभाविक है।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6802, दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1870, दिनांक 19.08.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण कार्य का निर्धारित लक्ष्य एवं इसे पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि 15.06.2016 तक डोभा अत्यंत कम पूर्ण किया गया था, किन्तु निर्धारित तिथि के बीत जाने के उपरांत 243 डोभा निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था।

श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य की प्रति विभागीय पत्रांक-5014, दिनांक 06.08.2020 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर विभागीय मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1971, दिनांक 05.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा दिये गये मंतव्य से अलग कोई मंतव्य दिया जाना उचित नहीं है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड के पत्रांक-842, दिनांक 10.05.2016 द्वारा प्रेषित लक्ष्य अनुसार 15 जून 2016 तक प्रत्येक राजस्व ग्राम में पाँच डोभा का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा मुख्य सचिव महोदय के समीक्षा दिनांक 30.05.2016 तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 38 डोभा ही पूर्ण किया गया था, परन्तु उपायुक्त के प्रतिवेदन अनुसार निर्धारित तिथि के उपरांत 243 डोभा पूर्ण कर ली गई है।

मनरेगा मांग आधारित योजना है अर्थात् निबंधित मजदूरों द्वारा कार्य की माँग किये जाने पर योजनाओं को प्रारंभ कर निबंधित मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा के अंदर एक विशिष्ट लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को पूर्ण करने में कठिनाई हो सकती है। श्री कुमार द्वारा विभागीय आदेश निर्गत की तिथि दिनांक 10.05.2016 एवं समीक्षा तिथि दिनांक 30.05.2016 के बीच मात्र बीस दिनों में 38 एवं बाद में 243 डोभा पूर्ण कर लिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री विजय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज को भविष्य में सचेत रहने की शर्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VIJAY KUMAR JHK/JAS/185	श्री विजय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा, साहेबगंज को भविष्य में सचेत रहने की शर्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
